न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद संख्या ...46.../ 2016–17

श्री देव कुमार सिंह **बनाम** श्री कृष्ण कुमार सिंह, गुरूद्वारा रोड, झुमरी तिलैया

21.07.2017 श्री देव कुमार सिंह, पिता– नथुनी सिंह, साकिन– गुरूद्वारा रोड, झुमरी तिलैया के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा– तिलैया, खाता सं0– 1149, प्लॉट नं0– 6565, रकबा– 0.10 ए0 एवं खाता सं0– 1302, प्लॉट नं0– 7343, रकबा– 0.09 ए0; कुल रकबा– 0.19 ए0 भूमि उनकी है, जिसका दाखिल–खारिज भी उनके नाम से है। उक्त जमीन में से वे केवाला के द्वारा खाता सं0– 1302, प्लॉट नं0– 7343, रकबा– 0.09 ए0 भूमि श्री चन्द्रदेव सिंह, पिता– किसुन सिंह को बिक्री किये हैं, जिसका दाखिल–खारिज करा कर वे अपने नाम से रसीद निर्गत करा रहे हैं। शेष खाता सं0– 1149, प्लॉट नं0– 6565, रकबा– 0.10 ए0 का रसीद मेरे नाम से निर्गत हो रहा था। किन्तु बीच में ही कर्मचारी के द्वारा 0.01 ए0 जमीन का रसीद निर्गत कर दिया गया। श्री देव कुमार सिंह के द्वारा 0.10 ए0 भूमि का रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

श्री कृष्ण कुमार सिंह, पिता– नथुनी सिंह, साकिन– गुरूद्वारा रोड, झुमरी तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा भी आवेदन दिया गया है कि उनकी भूमि मौजा– तिलैया, खाता सं0– 1302, प्लॉट नं0– 7343, रकबा– 0.09 ए0 को श्री देव कुमार सिंह, पिता– नथुनी सिंह, साकिन– गुरूद्वारा रोड, झुमरी तिलैया के द्वारा अपने चाचा ससुर श्री चन्द्रदेव सिंह, पिता– किसुन सिंह, सहाना रोड, छोटकी बागी, कोडरमा को अवैध तरीके से बिक्री कर दाखिल–खारिज करवा लिया गया है।

पूर्व में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत कर कागजातों की मांग की गई थी। सभी पक्षों के द्वारा अपने दावे के समर्थन में राजस्व कागजातों की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया था, जो अभिलेख में संलग्न है।

सभी संबंधित पक्षों को विशेष नोटिस निर्गत कर मूल राजस्व कागजातों की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ...27.../...07.../2017 को उपस्थापित करें।

21.07.2017

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

27.07.2017 अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने–अपने दावे के समर्थन में कागजात/साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान वाद प्रथम पक्ष देव कुमार सिंह के आवेदन पर खाता सं0–1302,

Scanned with CamScanner

प्लॉट सं0–7343, रकबा–0.09ए0 से संबंधित है, जिसकी चौहदी, उतर– सीता राम मोदी, दक्षिण– श्री दशरथ सिंह, पूरब में प्रखंड की चाहरदीवारी तथा पश्चिम– में रास्ता है।

प्रथम पक्ष के अनुसार विवादित जमीन उन्हें उनके पिता–स्व0 नथुनी सिंह से **दान–पत्र** के माध्यम से मिला है, इसके साक्ष्य में उन्होंने दानपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न किया है वहीं द्वितीय पक्ष के अनुसार उन्हें यह जमीन **बंटवारानामा** के आधार पर मिला है, जिस पर उनके (स्वयं के) द्वारा चाहरदीवारी दिया गया हैं तथा निर्माण कार्य भी किया गया हैं। इसके साक्ष्य में उन्होंन बंटवारानामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। दोनों पक्ष अपने–अपने कागजात व साक्ष्यों के आधार पर अपना हक–हकीयत का प्रबल समर्थन करते हैं। जहां तक प्रश्नगत भूमि पर हक–हकीयत (**Title**) का प्रश्न है, उसके लिए उभय पक्ष को सक्षम न्यायलय का सहारा लेना चाहिए। चूँकि **स्वत्व** के मामले में राजस्व पदाधिकारी का अधिकार सीमित होने के कारण इस तरह के वाद में किसी भी पक्ष के हित मे आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उचित सम्यक विचारोपरांत वाद की कार्रवाई बिना किसी आदेश का समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

27/07/2017

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

27/07/2017

अंचल अधिकारी
कोडरमा

Scanned with CamScanner